13 अक्तूबर, 2008 को 1600 बजे कांस्टिट्यूशन क्लब में "फ्लो ऑफ थॉट्स : सेलेक्टेड स्पीचेज, लेक्चर्स एण्ड राइटिंग्स ऑफ जस्टिस ए. एम. अहमदी" नामक पुस्तक के विमोचन समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी का अभिभाषण

देवियो और सज्जनो,

विधि मेरा पेशा नहीं रहा है और इसके बारे में थोड़ा-बहुत जो कुछ मैं जानता हूं वह राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में है। यही कारण है कि एक प्रख्यात न्यायविद् एवं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा रचित पुस्तक पर टिप्पणी करना समझदारी नहीं होगी। आज की सभा में ऐसे श्रोताओं की उपस्थिति, जो हर मायने में अधिक ज्ञानी हैं, इस विषय में किसी भी शंका को दूर कर देती है।

न्यायमूर्ति ओलिवर वेंडेल होल्म्स ने विधि को कलाकारों या कवियों के बजाय विचारकों का पेशा बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि 'महान विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब आप अपने चारों ओर अकेलेपन की काली खाई महसूस करते हैं'। अन्य महान न्यायाधीशों की भांति न्यायमूर्ति अहमदी ने भी अपने जीवनभर के अनुभवों से ऐसा किया होगा।

एक ओर जहां कुछ लेख विधि की तकनीकी बारीकियों से ओतप्रोत हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनका सीधा संबंध नागरिकों की चिंताओं से है। मेरे लिए वे सब ज्ञानवर्धक हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित लेखों में मेरी विशेष रूचि है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में न्यायमूर्ति अहमदी द्वारा ध्यान केंद्रित किया जाना समयानुकूल है। अधिकांश सामयिक चर्चा अनभिज्ञता पर आधारित होती हैं और कुछ पक्षपातपूर्ण होती हैं। अधिकांश लोग संदिग्ध वैधता वाली अकथित प्रमुख पूर्वधारणा के आधार पर तर्क करते हैं। कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि अधिकार प्रदान किये जाते हैं और इसलिए दाता की दया पर निर्भर हैं।

ऐसी प्रवृत्ति जनमानस को दूषित कर देती है और भारतीय राजव्यवस्था के बारे में गलतफ़हमी पैदा करती है। यही कारण है कि हमारी संवैधानिक आस्था के मूलभूत सिद्धांतों को दोहराये जाने की आवश्यकता है। ये इतने सरल हैं कि इन्हें आम नागरिक आसानी से समझ सकते हैं:

- भारतीय समाज की बहुलता एक जमीनी हकीकत है न कि कानून की उपज। हर छठा भारतीय धार्मिक अल्पसंख्यक है; राष्ट्र की भाषायी विविधता को हर करेंसी नोट के पीछे पढ़ा जा सकता है।
- न्याय सामाजिक संस्थाओं की प्रथम विशेषता है और न्याय द्वारा प्राप्त अधिकार राजनीतिक सौदेबाजी अथवा सामाजिक हितों के समाकलन के अध्यधीन नहीं होते हैं।
- संविधान की प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों संबंधी इसके भाग का स्वरूप अधिकारों के घोषणापत्र की तरह है। इन पर कोई विवाद नहीं है।
- संविधान सभा ने हमारे समाज की विविधता को स्वीकार किया और नागरिकों के रूप में अल्पसंख्यकों के सामान्य अधिकारों के अतिरिक्त उनके विशिष्ट अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में बड़ी सजगता के साथ शामिल किया।
- भारत ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्रों और घोषणापत्रों का समर्थन करने का निर्णय लिया है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि में अपने दायित्व का वचन दिया है।

जब हम कानूनी पहलू से वास्तविक व्यवहार की ओर बढ़ते हैं तो कई प्रश्न उठते हैं। (1) पहचान (2) सुरक्षा (3) विकास के लाभों में हिस्सेदारी और (4) निर्णय प्रकिया में भूमिका संबंधी मामलों को शामिल करने के लिए यदि प्रश्न को कई भागों में

बांटकर इसका चारों तरफ से विश्लेषण किया जाए तो इसका मूल्यांकन और आसान हो जाएगा ।

यह अवसर इन सब बातों का लेखा-जोखा तैयार करने का नहीं, अपितु सिर्फ इतना कहने का है कि अधिकांश लोग इसे आधी सच्चाई मानते हैं। राज्य प्रतिबद्धता और कार्यान्वयन के बीच के इस अंतर को स्वीकार करता है; तथापि, कुछ लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं।

अल्पसंख्यकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, इससे देश की समग्र उन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा। इस तरह, यह वर्गीय समस्या एक राष्ट्रीय समस्या बन जाती है। न्यायमूर्ति अहमदी ने इन बातों पर विचार करके राष्ट्र की सेवा की है।

धन्यवाद।